







कार्यालयीन आदेश क्रमांक 8020/स्था/अराज/एम.सी./2021 रीवा दिनांक 20/04/2021 के अनुक्रम में विज्ञप्ति क्रमांक 6648 एवं 6652 दिनांक 31/03/2021 के परिपेक्ष्य में दिनांक 22/04/2021 को प्राप्त दावा/आपत्ति का कार्यवाही विवरण




कार्यालयीन आदेश क्रमांक 8020/स्था/अराज/एम.सी./2021 रीवा दिनांक 20/04/2021 के अनुक्रम में विज्ञप्ति क्रमांक 6648 एवं 6652 दिनांक 31/03/2021 के परिपेक्ष्य में स्टाफ नर्स पद हेतु जारी प्रावधिक पात्रता एवं अपात्रता सूची में से प्राप्त होने दावा/आपत्ति के निराकरण हेतु निम्नलिखित चयन समिति उपस्थिति हुई :-



- | | | |
|--|----------------------|--|
| 1. डॉ. मनोज इन्दूरकर
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता | अध्यक्ष |  |
| 2. डॉ. एस.पी. गर्ग
संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, जी.एम.एच. रीवा | सदस्य |  |
| 3. डॉ. पी.जी. खानवलकर,
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष एनाटॉमी | मनोनित सदस्य |  |
| 4. डॉ. सुरेन्द्र सिंह मौपाची
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष ई.एन.टी. विभाग | आरक्षित श्रेणी सदस्य | |
| 5. डॉ. एस.के. सूत्रकार
प्राध्यापक (नामित) पैथोलॉजी | आरक्षित प्रतिनिधि |  |
| 6. डॉ. आदेश पाटीदार
प्राध्यापक (नामित) फार्मेकालॉजी | आरक्षित प्रतिनिधि |  |
| 7. श्रीमती रीना पटेल
प्रभारी प्राचार्य शा. नर्सिंग महाविद्यालय, रीवा | विषय विशेषज्ञ सदस्य |  |

चयन समिति की बैठक में सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-


क्र.	दावा/आपत्ति	समिति का निर्णय
01.	अर्चना पटेल के पांच वर्ष से कम संविदाकर्मियों के रूप में कार्य अनुभव एवं अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी न होने की आपत्ति के विरुद्ध अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 13/03/2021 जो कि खण्ड चिकित्सा अधिकारी सिविल अस्पताल सिरमौर जिला रीवा द्वारा जारी किया गया है को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।	प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर संबंधित को प्रावधिक पात्र घोषित किया गया। मूल दस्तावेजों का परीक्षण दिनांक 23/04/2021 को किया जावेगा।
02.	आवेदक नीलेश विश्वकर्मा के संविदाकर्मियों स्टाफ नर्स के रूप में कार्यरत न होने की टिप्पणी के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पृष्ठ क्रमांक 7202 दिनांक 06/07/2015 एवं संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवार्य रीवा संभाग रीवा के आदेश क्रमांक 3240 दिनांक 13/07/2015 समिति के सक्षम प्रस्तुत किया गया।	प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत आवेदक नीलेश विश्वकर्मा के संविदा स्टाफ नर्स के रूप में कार्यरत होने की पृष्टि की दशा में प्रावधिक पात्र उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया गया। मूल दस्तावेजों का परीक्षण दिनांक 23/04/2021 को किया जावेगा।
03.	आवेदक विनीता पटेल के समस्त अंकसूची आवेदन के साथ प्रस्तुत न करने के विरुद्ध समस्त अंकसूची की प्रति समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई।	अभ्यार्थिता मान्य करते हुए प्रावधिक पात्र उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया गया। मूल दस्तावेजों का परीक्षण दिनांक 23/04/2021 को किया जावेगा।

क्रमश.....02


  


 22/04/21



04.	आवेदक संध्या पटेल जो कि प्रावधिक पात्र अभ्यार्थी की सूची में है, के द्वारा उपस्थित होकर समिति के समक्ष बताया गया कि उनके द्वारा सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक एवं श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा संबद्ध चिकित्सालय में स्टाफ नर्स के पद पर पृथक-पृथक आवेदन किया गया है, परंतु संबंधित को मात्र सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक हेतु पात्र सूची में दो बार उल्लेखित किया गया है।	संबंधित के प्रस्तुत आवेदनों के परीक्षण उपरांत पाया गया कि संबंधित द्वारा भरा गया दोनों आवेदन सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के आवेदन के प्रारूप में ही है। अतः आपत्ति अमान्य की गई।
05.	आवेदक संगीता कुशवाह जो कि प्रावधिक पात्र अभ्यार्थी की सूची में है, के द्वारा उपस्थित होकर समिति के समक्ष बताया गया कि उनके द्वारा सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक एवं श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा संबद्ध चिकित्सालय में स्टाफ नर्स के पद पर पृथक-पृथक आवेदन किया गया है, परंतु संबंधित को मात्र सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक हेतु पात्र सूची में दो बार उल्लेखित किया गया है।	संबंधित के प्रस्तुत आवेदनों के परीक्षण उपरांत पाया गया कि संबंधित द्वारा भरा गया दोनों आवेदन सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के आवेदन के प्रारूप में ही है। अतः आपत्ति अमान्य की गई।
06.	आवेदक संगीता पटेल पति रजनीश पटेल जो कि प्रावधिक पात्र अभ्यार्थी की सूची में है, के द्वारा उपस्थित होकर समिति के समक्ष बताया गया कि उनके द्वारा सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक एवं श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा संबद्ध चिकित्सालय में स्टाफ नर्स के पद पर पृथक-पृथक आवेदन किया गया है, परंतु संबंधित को मात्र सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक हेतु पात्र सूची में दो बार उल्लेखित किया गया है।	संबंधित के प्रस्तुत आवेदनों के परीक्षण उपरांत पाया गया कि संबंधित द्वारा भरा गया दोनों आवेदन सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के आवेदन के प्रारूप में ही है। अतः आपत्ति अमान्य की गई।
07.	आवेदक सुधा पटेल के संविदाकर्मि न होने की टिप्पणी के विरुद्ध कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।	दिनांक 18/04/2021 द्वारा जारी सूची में उल्लेखित टिप्पणी यथावत।
08.	आवेदक प्रभा पटेल के द्वारा सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक एवं चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा संबद्ध चिकित्सालय में आवेदन के परीक्षण में उल्लेखित टिप्पणी में संविदाकर्मि न होने के विरुद्ध मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना द्वारा जारी अनुभव एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया।	आवेदक को प्रावधिक पात्र सूची में शामिल किया गया। मूल दस्तावेजों का परीक्षण दिनांक 23/04/2021 को किया जावेगा।
09.	आवेदक अंशुल सोहगौरा के वैध अनापत्ति प्रमाण - पत्र न होने के विरुद्ध समिति के समक्ष मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया।	आवेदक को प्रावधिक पात्र घोषित किया गया। मूल दस्तावेजों का परीक्षण दिनांक 23/04/2021 को किया जावेगा।
10.	आवेदक पूजा सेन के संविदाकर्मि न होने की टिप्पणी के विरुद्ध उपस्थिति के समय कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।	दिनांक 18/04/2021 द्वारा जारी सूची में उल्लेखित टिप्पणी यथावत।




11.	आवेदक सोनू कुशवाह के अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी न हो पाने के विरुद्ध उपस्थित होकर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आज दिनांक 22/04/2021 सायं 5.00 बजे तक प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया।	संबंधित द्वारा दिनांक 22/04/2021 सायं 5.00 बजे तक आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया था परंतु अभ्यार्थी द्वारा उपरोक्त संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः दिनांक 18/04/2021 द्वारा जारी सूची में उल्लेखित टिप्पणी यथावत।
12.	ममता पटेल महावीर पटेल के आवेदन दिनांक 20/04/2021 द्वारा कोरियर सेवाओं की अनियमितता के कारण आवेदन दिनांक 20/04/2021 को चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में पहुंचने के संबंध में आवेदन स्वीकार करते हुए अभ्यार्थीता के संबंध में विचार करने का अनुरोध किया गया।	प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत वर्तमान में कोविड-19 के परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक ममता पटेल के अपील को मान्य करते हुए आवेदन विचार में लिया गया। आवेदन परीक्षण उपरांत विज्ञप्ति की शर्तों के अनुरूप संबंधित को प्रावधिक रूप से पात्र पाया गया। मूल दस्तावेजों का परीक्षण दिनांक 23/04/2021 को किया जावेगा।
13.	आवेदक विज्ञान पटेल के द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी न किये जाने की टिप्पणी के विरुद्ध व्यक्तिगत उपस्थिति के समय कोई भी आधारभूत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।	दिनांक 18/04/2021 द्वारा जारी सूची में उल्लेखित टिप्पणी यथावत।



श्रीमती रीना पटेल
विषय विशेषज्ञ सदस्य



डॉ. आदेश पाटीदार
आरक्षित प्रतिनिधि


डॉ. एस.के. सूत्रकार
आरक्षित प्रतिनिधि


डॉ. पी.जी. खानवलकर,
मनोनित सदस्य

on leave
डॉ. सुरेन्द्र सिंह मौपाची
आरक्षित श्रेणी सदस्य


डॉ. एस.पी. गंग
सदस्य


डॉ. मनोज इन्दूरकर
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता,
अध्यक्ष